दूरभाषः / **Ph. :** 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj
ई–मेलः roallahabad@uppcb.com

संदर्भ सं0 601709 / A-247 / 2019 दिनांक 12/9/19

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gamil.com,

Subject:- Compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunalin Original Application No. 1028/2018 Ayodhya Prasad Versus State of U.P. &Ors. in order dated 24-05-2019.

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on 24-05-2019 by Hon'ble National Green Tribunalin Original Application No. 1028/2018 Ayodhya Prasad Versus State of U.P. & Ors. The compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Your Sincerely

(J. B Singh)
Regional Officer

Copy to:-

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
2. Sri Pradeep Misra, Advocate Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.

Regional Officer

Scanned by CamScanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0–1028/2018 अयोध्या प्रसाद बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 05.12.2018 के अनुपालन में तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा ईंट भट्ठा मेसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड सेमरीमय, खैरहा कलरवापुर, फतेहपुर के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश दिनॉक 25.01.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर के द्वारा गठित समिति दिनॉक 11.02.2019 के अनुकम में आज दिनॉक 02.03.2019 को ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा बन्द पाया गया तथा मौके पर उपस्थित ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र कुमार (मुंशी) को निर्देशित किया गया किं बोर्ड के आदेश के अनुपालन में ईंट भट्ठा को बन्द रखा जाए।

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
प्रयागराज।

(प्रमोद झा)
उप जिलाधिकारी सदर,
फतेहपुर।

Scanned by CamScanner

M/s आनन्द ब्रिक फील्ड , सेमरी मय खैराहा , कलरवापुर , तहसील - फतेहपुर सदर , जनपद - फतेहपुर (उत्तर - प्रदेश)

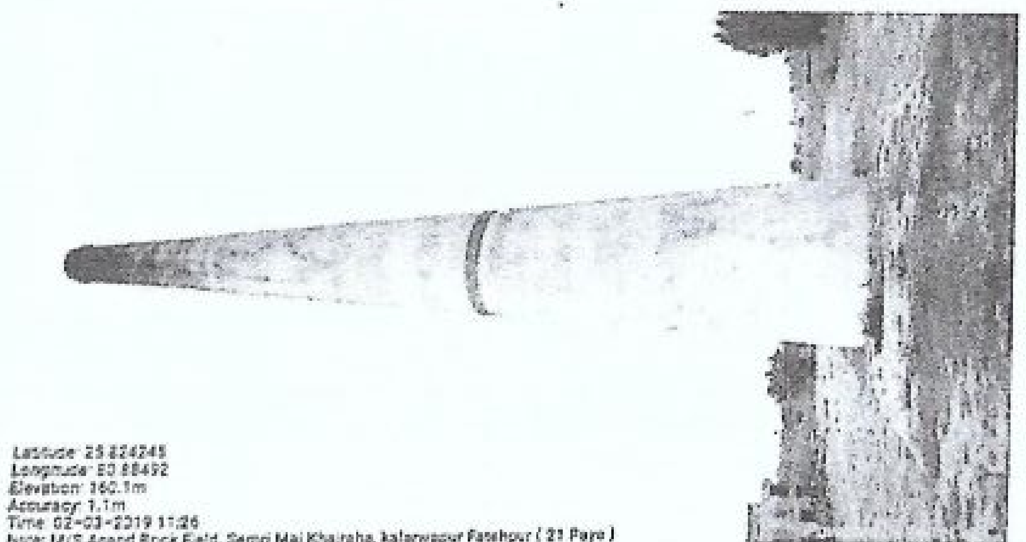

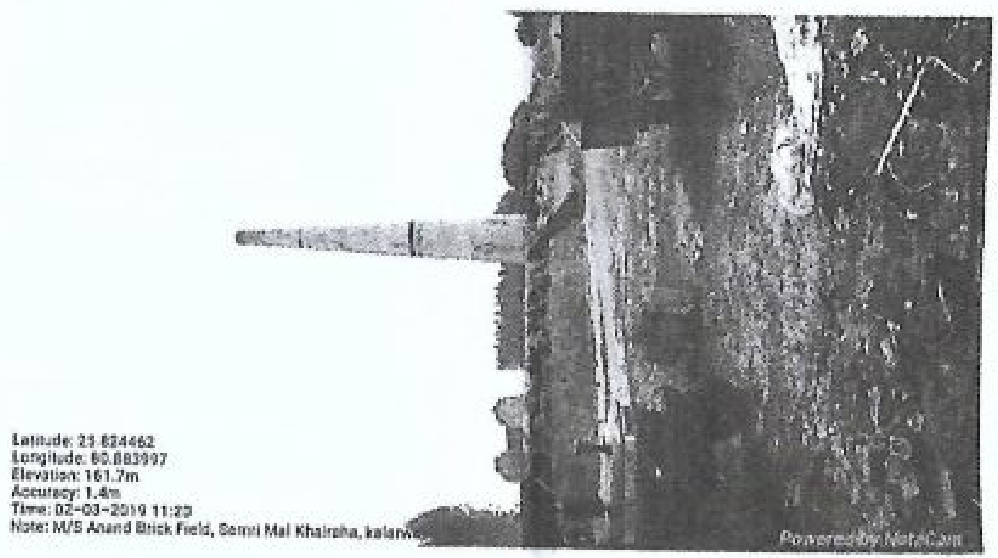

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

पत्र सं0 6015-73 /प्र0नि0बोर्ड/इला0 दिनॉक: 11/02/201

1. उपजिलाधिकारी,
   सदर, जनपद–फतेहपुर।
2. क्षेत्राधिकारी,
   सदर, जनपद–फतेहपुर।.

मेसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड सेमरी मय खैराहा, कलरवापुर, फतेहपुर के विरूद्व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बंदी आदेश सं0 एच 31894/सी–2/वायु/162/प्रयागराज/19 दिनॉक 25.01.19 का अवलोकन करें। उक्त ईट भट्ठे के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम) 1981 की धारा 31–ए के अंतर्गत बंदी आदेश निर्गत किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड के अधिकारियों के साथ उक्त बंदी आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करायें।

संलग्नकः यथोपरि।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, फतेहपुर

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
4. खान अधिकारी, खनन विभाग, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झूँसी, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि उद्योग के बंदी हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, फतेहपुर

07/02/19

E-SUNIL STENO/RO/DM ALLD

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

5/2/11

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

H31874

संदर्भ सं०
Ref. No /सी-2/वायु-162/प्रयागराज/19

दिनांक
Date 25-1-19

सेवा में,

मैसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड,
सेमरी मय खैराहा, कल्यानपुर
फतेहपुर।

पंजीकृत

यह कि **मैसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड, सेमरी मय खैराहा, फतेहपुर** जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा, ईंट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–1028/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.12.18 के अनुपालन में ईंट भट्ठा मैसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड, सेमरी मय खैराहा कल्यानपुर, फतेहपुर का स्थल निरीक्षण जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 28.12.18 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 04.01.19 द्वारा प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित है तथा उद्योग के संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है। संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार ईंट भट्ठे का स्थापना स्थल, उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के मानकों के अनुरूप नहीं है। क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 04.01.2019 द्वारा ईंट भट्ठे को वायु अधिनियमान्तर्गत बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके उद्योग को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किये जाते हैं :–

1– यह कि मैसर्स **आनन्द ब्रिक फील्ड, सेमरी मय खैराहा, फतेहपुर** में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

2– यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तत्कालिक प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।

(टी0यू0 खान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, फतेहपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिला खनन अधिकारी, फतेहपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 विद्युत वितरण निगम लि0, फतेहपुर को विद्युत विच्छेदन हेतु।
5. अधिशासी अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम, फतेहपुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बन्दी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त करायें तथा अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, 03 दिन के अन्दर अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–2

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

Scanned by CamScanner

दूरभाष:/Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj
ई–मेल: roallahabad@uppcb.com

संदर्भ सं0 G00391 /आ0-5 ब्रिक/रा0प्रा0प्रा0/2019 दिनांक 04/01/2019

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः ओ0ए0 संख्या 1028/2018(एम0ए0 संख्या–1725/2018) में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा मे0 आनन्द ब्रिक फील्ड सेमरी मय खैराहा, कलरवापुर, फतेहपुर के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर द्वारा गठित समिति दिनांक 27.12.2018(छायाप्रति संलग्न है) के अधिकृत सदस्यों द्वारा मे0 आनन्द ब्रिक फील्ड सेमरी मय खैराहा, कलरवापुर, फतेहपुर का निरीक्षण दिनांक 28.12.2018 को किया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार भट्ठा 2017 से बिना राज्य बोर्ड की सहमति से स्थापित एवं संचालित है। प्राप्त निरीक्षण आख्या के अनुसार भट्ठे का स्थल, ईंट भट्ठा स्थापनार्थ स्थल हेतु लागू गाइड लाइन दिनांक 27.06.2012 के अनुरूप नहीं है। भट्ठे की स्थल निरीक्षण आख्या की मूल प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ईंट भट्ठा मे0 आनन्द ब्रिक फील्ड सेमरी मय खैराहा, कलरवापुर, फतेहपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)अधिनियम् 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए में बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

(एस0 एम0 मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

04/01/2019 04/01/19

E:\Sunil Kumar-Steno\ro\ro

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 संख्या 1028/2018 (एम0ए0 सं0 1725/2018) में पारित आदेश दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में मैसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड सेमरी मय खैराहा कलरवापुर, फतेहपुर की निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 संख्या 1028/2018 (एम0ए0 सं0 1725/2018) में पारित आदेश दिनांक 05.12.2018 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर द्वारा गठित समिति आदेश दिनांक 27.12.2018 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा ग्राम सेमरी मय खैराहा कलरवापुर, तहसील–फतेहपुर सदर, जनपद–फतेहपुर में स्थित ईट भट्ठा मैसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.12.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के प्रतिनिधि के रूप में श्री एकलाक अहमद, प्रतिनिधि उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नही पाया गया। ईंट भट्ठे में ईंटो की निकासी का कार्य कियां जाता पाया गया। भट्ठे से प्राप्त अभिलेखानुसार भट्ठा वर्ष 2017 में स्थापित किया गया है ।
2. ईट भट्ठे मे पायों की संख्या 19 है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थिति प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे में कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का उपयोग कर पक्की ईंटो का उत्पादन किया जाता है। ईंट भट्ठे की दैनिक उत्पादन क्षमता 20000 ईंट है।
4. निरीक्षण के समय उपस्थिति प्रतिनिधि द्वारा ईट भट्ठा से संबंधित विभागों के दस्तावेज यथा उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति, जिला पंचायत का रजिस्ट्रेशन, जी0एस0टी0 विभाग का रजिस्ट्रेशन, आदि अभिलेखों के बारे में कोई जानकारी नही दी गयी तथा न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।
5. ईंट भट्ठे की चिमनी की ऊचाई धरातल से लगभग 30 मी0 है। चिमनी पर पोर्टहॉल निर्मित है। प्लेटफॉर्म निर्मित नही है।
6. भट्ठे के चारों दिशाओं की स्थिति निम्नवत् है:–
   - I. पूरब दिशा में ईंट भट्ठे की चिमनी से लगभग 425 मीटर की दूरी से ग्राम कलरवापुर की आबादी (20 घर से अधिक) प्रारम्भ होती है।
   - II. पूरब–उत्तर दिशा में लगभग 1.0 किमी0 की दूरी पर ग्राम सेमरी की आबादी (20 घर से अधिक) स्थित है।
   - III. उत्तर दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम बरसरा की आबादी (20 घर से अधिक) स्थित है।
   - IV. पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 किमी0 की दूरी पर ग्राम खैराहा की आबादी (20 घर से अधिक) स्थित है।
   - V. उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 किमी0 से अधिक की दूरी पर ग्राम सभापुर की आबादी (20 घर से अधिक) स्थित है।
   - VI. दक्षिण दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर ग्राम बसीपुर मजरे रिढ़वा की आबादी (20 घर से कम) स्थित है।

उपरोक्तानुसार ईट भट्ठे का स्थापना स्थल, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा ईट भट्ठें की स्थापनार्थ अधिसूचित नियमावली 27 जून 2012 के मानको के अनुरूप नहीं है। आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 31.12.2018
राजेन्द्र सिंह लेखपाल
क्षे. सेमरी

(हस्ताक्षर) 31/12/18
राज बहादुर सिंह
रा0नि0 क्षेत्र हसवा
तह0 व जिला–फतेहपुर
मो0–9695558625

(हस्ताक्षर) 31/12/2018
(महेन्द्र सिंह)
सहा0 अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
प्रयागराज।

(हस्ताक्षर) 31/12/2018
रमेश चन्द्र पाण्डेय
नायब तहसीलदार
क्षेत्र नगर फतेहपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर

पत्र सं0 जे0 1348/आनन्द ब्रिक फील्ड/एन0जी0टी0/2018 दिनॉक: 17-12-2018

कार्यालय–आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं0 1028/2018 (एम.ए.सं0 1725/2018) में पारित आदेश दिनॉक 05.12.18 के अनुपालन में अवैध रूप से संचालित मेसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड सेमरी मय खैराहा कलरवापुर, फतेहपुर की स्थलीय जॉच हेतु निम्न् अधिकारियों की समिति गठित की जाती है:–

1. उपजिलाधिकारी सदर, फतेहपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।

समिति को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण कर संयुक्त जॉच आख्या के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर आख्या प्रेषित करें।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, फतेहपुर

प्रतिलिविप:– संबंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, फतेहपुर

E-SUNIL STENO/RO/DM ALLD

Scanned by CamScanner

Item No. 09 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1028/2018
(M.A. No. 1725/2018)

Ayodhya Prasad Applicant(s)

Versus

State of U.P. & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 05.12.2018

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

For Applicant(s): Mr. Santosh Chouhan and Mr. Vatsal Joshi, Advocates

For Respondents (s):

ORDER

Grievance in this application is against operation of brick kiln of M/s Annand Brick Field, Semi Mai Khairaha Kalrwapur, District Fatehpur illegally, in violation of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Location is within 100 meters from inhabitation. Fertile soil and potable water are being used.

We direct a Joint Committee of District Magistrate Fatehpur and Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to look into the matter and take appropriate action in accordance with law within one month from the date of receipt of copy of this order.

UPPCB will be the nodal agency for compliance of this order and taking follow up action.

The application is disposed of.

A copy of this order be sent to UPPCB for compliance by e-mail.

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

The applicant is also given liberty to furnish set of papers to UPPCB.

Report of action taken may be furnish to this Tribunal by e-mail at ngt.filing@gmail.com.

List for consideration of report on 28.02.2019.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

December 05, 2018
A

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

9227/8
10/7/19

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0/ H37798 /सी-2/वायु-162/क्षतिपूर्ति/2019
Ref. No ....

दिनॉक / Date 25-6-19

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड,
सेमरी मय खैराहा, कलरवापुर,
जनपद–फतेहपुर।

विषय:–मेसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड, सेमरी मय खैराहा, कलरवापुर, फतेहपुर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड, सेमरी मय खैराहा, कलरवापुर, फतेहपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31–ए के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 25.01.2019 को जारी बन्दी निर्देश वर्तमान में प्रभावी हैं।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 1028/2018 में दिनांक 24.05.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है–".... In response to the order dated 05-12-2018 requiring the District Magistrate, Fatehpur, Uttar Pradesh and the UPPCB to furnish a report about the allegation of operation of brick kiln by M/s Annand Brick Field, a report has been filed stationg that the brick kiln in question has been closed under Section 31-A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as it was found to be operating illegally. However, it is not clear as to what steps have been taken for recovering compensation for causing pollution.

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 07.06.19 द्वारा उद्योग के वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31–ए के प्राविधानों का उल्लंघन कर संचालित किये जाने के दृष्टिगत माह जनवरी 2017 से मई 2017 कुल 151 दिन की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु तैयार रूपरेखा के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 6250/– प्रतिदिन आती है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संस्तुति एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त **मेसर्स आनन्द ब्रिक फील्ड, सेमरी मय खैराहा, कलरवापुर, फतेहपुर** पर रूपये 6250/– प्रतिदिन की दर से 151 दिनों हेतु कुल रूपये 9,43,750/– (रूपये नौ लाख तैतालीस हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

C/o ND/TC
11/7/19

भवदीय

गुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

2/–

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

Nagar Nigam 33a direction for CCRP (2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned by CamScanner